MR SPEAKER : Shri S.N. Jatiya-Not present. Shri K.A. Rajan-Not present. Shri Harish Kumar Gangwar-Not present. Shri Hannan Mollah-Not present. Now, Shri Chintamani Jena.

(iii) *Demand for an electronic telephone industry at Bhubaneswar Orissa.*

SHRI CHINTAMANI JENA (Balasore): There is hardly any electronic industry in the Eastern States. The Union Government has taken decision to remove the regional imbalances in all spheres including the electronic industry. The State of Orissa is lagging behind in case of setting up of electronic industries. The regional imbalances could be removed to some extent if an electronic telephone industry is established in Orissa.

The atmosphere, the lands, specially the open and fresh air of Bhubaneswar is very suitable for setting up of any electronic industry including telephone industry. Orissa being a backward State in regard to industries, setting up of the electronic telephone industry at Bhubaneswar will be bold step to make the State progresr in industries, which will be a great help to set up ancillary industries nearby, including the Chandka Industrial Estate.

A proposal for establishment of a telephone industry at Bhubaneswar in Orissa is pending with the Government of India for the last so many years. An expert Committee also visited the State and also Bhubaneswar, two year back, to study and they have submitted a favourable report. The State Government of Orissa is ready to donate lands for the telephone industry and is urging the Union Government to set up a telephone industry at Bhubaneswar.

Considering all these aspects, I would very earnestly request the Union Government to set up an electronic telephone industry at Bhubaneswar.

13.35 hrs.

MOTION RE. TWENTY-SIXTH AND TWENTY-SEVENTH REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND FIRST AND SECOND REPORTS OF COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES *Contd.*

MR. CHAIRMAN : Now we take up further consideration of the following motion moved by Smt. Ram Dulari Sinha on the 14th August, 1984, namely :—

> "That this House do consider the Twenty-sixth and Twenty-seventh Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years of 1978-79 and 1979-81, laid on the Table of the House on the 22nd December, 1980 and 11th August, 1982 respectively and the First and Second Reports of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the period from July, 1978 to March, 1979 and April, 1979 to March, 1980, laid on the Table of the House on the 22nd December, 1980 and 11th August, 1982 respectively."

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति महोदय, पिछले दिन मैं इस प्रस्ताव पर बोलते हुए कह रहा था कि हमारे देश में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स तथा बैकवर्ड जाति के लोगों के लिए रिजर्वेशन देना निर्धारित किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, उसमें अभी बैकलोग रहता है। उसके कारणों में यदि हम जायें, तो कमीशन की रिपोर्ट में चौथा फंक्शन यह लिखा हुआ है कि जहां भी वह कमीशन जाये, शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सिलसिले में, वहां फाइल और आवश्यक कागजात मंगवा सकता है। लेकिन दुःख की बात है कि हमने कमीशन

(श्री राम प्यारे पनिका)

को वह पावर नहीं दे रखी हैं। जिसके परिणाम-स्वरूप वह कोई रिकार्ड नहीं मंगवा सकता। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कमीशन को वे अधिकार मिलने चाहिए ताकि हर राज्य और सेन्टर में जितना बैकलोग शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स तथा बैकवर्ड क्लासेज का रहता है उसको पूरा किया जा सके।

इतना ही नहीं, मान्यवर, हमारी शैड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स की जो लिस्ट 1967 से बनी हुई हैं, उसमें कुछ एनोमैलीज रहती है, उन को दूर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं। वैसे तो विभिन्न राज्य सरकारों से तमाम सूचियां मंगवाई गई हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने अभी तक उनको नहीं भेजा है। चूंकि काफी समय ऐसे ही व्यतीत हो गया है इसलिए मैं मांग करता हूं कि तमाम लिस्ट पर नये सिरे से विचार किया जाये। इस सेशन में यदि हम न कर सकें तो हमें अगले सत्र के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिये।

हमारे जनपद में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को शैड्यूल्ड ट्राइब्स में ही रखा गया है, लेकिन कुछ जातियां मध्य प्रदेश में ऐसी हैं, जैसे बियार जाति है, मल्लाह है, दिल्ली में उनको शैड्यूल्ड कास्टस माना जाता है, लेकिन हमारे यहां वे सारे छूट गए हैं। मैं उनको रैशनेलाइज करने की मांग करता हूं। सारी सूची को जल्दी से जल्दी संशोधित किया जाए जिससे देश में वे तमाम लोग, जो आजादी के 37 सालों के बाद भी रिजर्वेशन के बावजूद, इकानामिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं, वे भी समाज के साथ आगे बढ़ सकें।

मान्यवर, जहां तक ट्राइबल एरियाज का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में यदि आप जाईये, सारे एरिया में वहां की सरकार के कहने के बावजूद अभी तक सुधार नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि हमारे फौरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट में किसी न किसी रूप में संशोधन होना चाहिए ताकि कुछ एरियाज को ट्राइबल एरियाज घोषित किया जा सके। कई राज्यों में ऐसे एरियाज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश हैं, बिहार और उड़ीसा है, और भी कई एरियाज जंगलों वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में आज निर्माण के कार्य ठप्प हैं हम वहां सड़कें नहीं बना सकते, सिंचाई के साधन मुहैया नहीं कर सकते। क्योंकि वहां ऐसे कठिन नार्म्स रखे गए हैं, उसके कारण कोई काम नही हो सकता। वहां के लिये परमीशन मिलनी मुश्किल है। इसलिए में चाहता हूं कि फौरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट, 1980 में फिर से सुधार पर विचार किया जाए। उसका कारण यह है कि जहां तक भूमि सुधार का प्रश्न, हमारे हरिजन आदिवासि जो कई पुश्तों से वहां खेती करते आए हैं, आबाद हैं, उनके मकान वहां हैं, घर हैं. फौरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि वह हमारी जमीन है। उसका नतीजा यह होरहा है कि ट्राइबल एरियाज में उन लोगों को जमीन पर जो राइटस या कन्सेशन मिले हुए थे आज उनको वंचित किया जा रहा है और वे अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि अंग्रेजों के राज्य में भी जो अधिकार उनको मिले हुये थे यदि आज उनको बंद किया जाये है तो उनमें असंतोष व्याप्त होना स्वाभाविक है। वे तमाम राइटस और अधिकार तथा कन्सेशन्स उनको फिर से मिलने चाहिये।

इसके अलावा, जैसे मैंने पिछले रोज भी कहा था, राज्यों को कुछ संसाधन हम केन्द्र से दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें उनका उपयोग

नहीं कर रही हैं । मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा । पिछले दिनों अपने क्षेत्र के लिए मैं दो करोड़ 70 लाख रुपये लेकर गया, लेकिन मैंने देखा कि उनका उपयोग जिला स्तर पर नहीं हो रहा है । उसका कारण यह है कि धनराशि का उपयोग करने के लिये मशीनरी तैयार नहीं हैं । यदि कहीं उपलब्ध भी हैं तो उन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण है । इसलिये अब समय आ गया हैं कि विभिन्न राज्य सरकारों को हम केन्द्र से जो धनराशि आवटित करते हैं उनको खर्च पर भी हमें नियंत्रण रखना होगा । और जो सरकारें इसका खर्च नहीं करती हैं उनको सेंसर करना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो और भी कठोर कदम उठा कर शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के हितों का कार्य न करने वाली सरकारों को डिसमिस भी करना पड़े तो करना चाहिये । आपने देखा विरोधी दल ने इस महत्व-पूर्ण विषय पर भाग नहीं लिया और गवर्नर के कंडक्ट को डिस्कस करना चाहते थे जो कि नहीं कर सकते हैं । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों की चर्चा होनी चाहिये, ठीक है सरकार ने सरकारिया आयोग बना दिया है, लेकिन हमें विचार करना चाहिये कि ऐसा कब तक चलता रहेगा ।

जब 1977 में विरोधी दल जनता को भ्रमित करके सत्ता में आ गया था तो एक क्षण में नहीं लगा गैर-कानूनी ढंग से देश के ९ राज्यों में उन सरकारों को समाप्त कर दिया था जहां दो तिहाई तक बहुमत था । लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि हिन्दुस्तान का जन-मानस, जो 1977 में एक बार भ्रमित हो गया है वह अब नहीं होने वाला है क्योंकि उन्हें पता है कि लोकतंत्र की कितनी इज्जत विरोधी दल के लोग करते हैं ।

क्या यह सही बात नहीं है कि 1947 के बाद हरिजनों और आदिवासियों की दशा में सुधार हुआ है ? आवश्यकता है मौलिक बातों की आज आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने की आवश्यकता है जहां हरिजनों और आदिवासियों के बच्चों को उचित शिक्षा दी जा सके । ऐसे विद्यालय अधिक से अधिक खोलने के लिये ट्राइबल एरियाज में मौका दें, क्योंकि वह अपने खर्चे से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं । साथ ही ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले जायें जिस प्रकार अखिल भारतीय नौकरियों के लिये हैं वैसे ही अन्य कैटेगरीज के लिए भी ट्रेनिंग दी जा सके । आज हमारे बच्चे आई०ए०एस० में आ सकते है, क्या वजह है कि हमारे बच्चे क्लास 3 और 4 में नहीं आ सकते ? आज ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश लगाना होगा और कोई न कोई दंड की व्यवस्था करें जिससे हमारी जगहें पूरी हो जायें ।

यहां पर मंडल आयोग की भी बात होती है । मैं मौलिक बातों का समर्थन करता हूं लेकिन जिन बुनियादी बातों के सम्बन्ध में उन्होंने रिपोर्ट दी, विभिन्न राज्यों ने भी कई कदम उठाये हैं उन सब चीजों को चलते रहना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 340,341,342 में स्पष्ट व्यवस्था हैं कि बैक्वर्ड उसको माना है जो ऐजूकेशनली बैक्वर्ड हो, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो और शेड्यूल्ड कास्ट उसको माना है जो अनटचएबिलिटी से सफर करते थे और ट्राइबल उनको माना है जो देश के दूर दराज इलाकों में रहते हैं । तो जब तक सारे ट्राइबल एरियाज के लोगों को राष्ट्रीय धारा में नहीं ला पायेंगे तब तक हमें उनके लिए व्यवस्था करनी होगी । संविधान में समता का अधिकार दिया है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है तब तक उसको उस समता को प्राप्त करने का जो साधन है वह नहीं मिल जाता । हम रिजर्वेशन अनन्तकाल तक नहीं ले जाना चाहते । एक लड़का पब्लिक

(श्री राम प्यारे पनिका)

स्कूल में पढ़े और एक बच्ची गांव के स्कूल में पढ़ कर बी०ए० करे तो आई०ए०एस० में वह गांव वाला बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़े बच्चे का मुकाबला कैसे कर सकता है? इस लिए शिक्षा में जो गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है वह नहीं हो रहा है।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि ऐसे इलाकों के लड़कों के लिये आप पब्लिक स्कूलों में व्यवस्था करें ताकि ऐसे जमात के लोगों को स्थान मिल सके और वह आगे आ सकें। वहां जो स्कालरशिप मिलनी हैं, यहां से जो रुपया जाता है, वह पैसा प्रदेश सरकार समय से छात्रों को नहीं दे पाती है, यदि देती भी है तो इम्तहान जब समाप्त हो जाता है, तब देती है। इसकी ठीक व्यवस्था होनी चाहिए।

कल यहां मंहगाई का मामला डिस्कस हो रहा था। मंहगाई बढ़ी है, यह हमारी सरकार ने स्वीकार किया है। स्कालरशिप के रेट कब के तय हुये हैं, ये बहुत पहले के हैं, मैं चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लड़कों की स्कालरशिप में बढ़ोतरी की जाये।

यह बड़ी विडम्बना है कि जितने आदिवासी और बैकवर्ड इलाके हैं, आपको याद होगा कि पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने 6 प्रकार के एरियाज को पिछड़ा माना थ। एक था डैजर्ट पहाड़ी, दूसरा सर्वदा सूखे-बाढ़ से प्रभावित इलाका, तीसरे समुद्री तटीय मैदान, जो तूफान से आए दिन प्रभावित होते हैं और ट्राइबल एरिया आदि अगर आप देखें तो इन्हीं इलाकों में हमारे हरिजन आदिवासी तबके के लोग रहते हैं। उनके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में तो कुछ व्यवस्था की गई थी, लेकिन मैंने एप्रोच पेपर देखा है, सातवीं योजना में किसी धनराशि की व्यवस्था इनके लिये नहीं की गई है।

यह ठीक हैं कि 8वें फाइनेन्स कमीशन ने इसके लिए कुछ रुपया देने की बात कही है लेकिन जिस प्रकार का बैकवर्डनेस हमारे प्लानिंग कमीशन ने आइडिएन्टीफाई किया था, उसके लिए किसी धनराशि की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं गृह-मंत्री से चाहता हूं कि आगे आने वाले वर्षों में हमारी 7वीं योजना जो कि 18 अरब रुपए की बनाने जा रहे हैं, उसमें उनके अनुपात से ही उनको धन मिलना चाहिए।

हमारे देश की नेता प्रधान मंत्री ने चाहा था कि विभिन्न मिनिस्ट्रीज में क्वान्टीफिकैशन किया जाए धन के लिए। अभी 11 मंत्रालयों में है, मैं चाहता हूं कि जितने भी मंत्रालय हैं, सब में इस बात का ख्याल रखा जाए कि इन तबके के लोगों के लिए जितना इनका हिस्सा बनता हो उतनी धनराशि उनके लिए आवंटित की जाए केवल आवंटित ही नहीं, उनके कार्यान्वियन के लिए धन उपलब्ध किया जाये, इन बात का भी ध्यान रखा जाये।

मैं मोटी-मोटी बातें कह रहा था और कह रहा था कि यह जो मंत्रालय हैं,.....

(व्यवधान)

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): सभापति महोदय, हम लोग राष्ट्रपति जी से मिलकर आए हैं.....

*(Interruptions)**

SHRI RAM PYARE PANIKA: I am not yielding : you please sit down.

* Not recorded.

(*Interruptions*)*

MR. CHAIRMAN : It is your number one duty to maintain the dignity of the House. You are an old Parliamentarian. You must listen and obey the Chair.

(*Interruptions*)*

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (Silchar) : How can you re-open it ? The Speaker has already given his ruling.

(*Interruptions*)*

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : I have to do my duty. Let me do my duty You must also cooperate. That is all I demand from you.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : What you are doing is not correct. You are not even listening. First of all, kindly sit down. When I am on my legs, I want you to sit down

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You cannot dictate things to the Chair. Kindly sit down when I am on my legs. That is what I demand from you. If you do not, then you are not listening to the Chair. The deliberations of this House....

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : This is not correct. I am in the Chair. It is for me to decide, not for you. Do not question me on this. I will decide. I have already told you that you should first listen to me. Kindly sit down.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You did not let me complete my sentence.

आप मुझसे सवाल न करें । पहले मैंने आपसे सवाल करना है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं पहले आप की बात नहीं सुन सकता । पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी । जब मैं बोल रहा हूं, तो आप को बीच में खड़े हो कर नहीं बोलना चाहिए ।

If we talk in a calm manner, the dignity of the House can be maintained. We should not cross-jibe at each other over nothing. That would not lead us anywhere, and the dignity of this august House cannot be maintained that way. Now, the question is this. The deliberations of this House shall have to be conducted in the normal course so far as this Chair is concerned.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Do not stop me when I am talking. You may have very good ideas, but have a little patience.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Let me deal with this. None of you should try to teach the Chair as to what should be done. Stay wherever you are and listen to me patiently. When the deliberations are going on, you just cannot barge in and start asking for something. That cannot bedone. When the time of your having to question anything comes, everything you can ask and I do not have any objection to it. At the moment an item is at work and that item must keep on working and in that case outside the subject you should not interfere. That is all. Kindly keep seated....

(*Interruptions*)

*Not recorded.

MR. CHAIRMAN : I do not expect this from you, Mr Jaipal Singh Kashyap. You are a mature parliamentarian. You can have your own way later. I have no objection You must see in what context we are talking.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : I have already told you. I am in the middle of the item which is going on. The speech is going on. I am not permitting any one to interfere with something else.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : No, no. You are not listening to the Chair at all....

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : What is this ?... Don't behave like this.

मैं एक और बात बताऊं । एक और बात सुनें । आपस में अपना कोआपरेशन ठीक रखें । बी ए.सी. की मीटिंग ढाई बजे हो रही है । आपके सब साथियों को उसमें बैठना है । अब कोई बात जिस पर किसी किस्म का झगड़ा हो उस के बारे में उधर उस में निपटने की कोशिश होगी, उस में आप की सहूलियत हो, जो कुछ भी हो । यह तो सीधी बात है कि एक आइटम चल रहा है, हाउस चल रहा है । किसी आनरेबल मेम्बर की स्पीच हो रही है तो उस में किसी और आइटम की इंटरफेयरेंस नहीं आ सकती है ।

13.58 hrs.

At this stage, some hon. Members came and sat on the floor near the Table.

(Interruptions).

MR. CHAIRMAN : This is not correct.

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ने.....(व्यवधान).....

सभापति महोदय : उसी धारा से, उसी आइडिया से मैं आप से अपील करता हूं ।

14.00 hrs.

*(Interruptions)***

MR. CHAIRMAN : Nothing goes on record. *(Interruptions)* Do you want to listen to the chair or you do not want to listen to the chair at all ? *(Interruptions)* Is this the way ? Why are you shouting ? Don't disrespect the chair. I am telling you, do whatever you like. But, do not disrespect the Chair. *(Interruptions)* I cannot even hear you. You are all Parliamentarians..You cannot make it a mockery of this House. This is not the way. Please listen to me. *(Interruptions)*

सभापति महोदय : मेरी बात तो सुनिए । (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनिए । (व्यवधान) आप जब कहेंगे तब मैं बोलूंगा । आप खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं । (व्यवधान) इस संबंध में बता रहा हूं । मधु दण्डवते जी ने जो मोशन दिया है वह अभी कमेटी के सामने पेश हो रहा है । उसके ऊपर सिर्फ टाइम का फैसला होना है ।

*(Interruptions)***

सभापति महोदय : एडमिट हो चुका है ।

*(Interruptions)***

**Not recorded.

सभापति महोदय : एडजर्नमैंट मोशन नहीं है । जो दण्डवते जी ने मोशन दिया है, वह एडमिट हो गया है।

एक माननीय सदस्य : अभी होना चाहिए । (व्यवधान) **

सभापति महोदय : शास्त्री साहब, मेरी बात तो सुनिए (व्यवधान) सुनतो लीजिए आप/ आप इतने जोश में आ जाते हैं । आप दूसरे की भी तो सुनो । मेरी बात सुनेंगे तभी कोई हल हो सकता है । सुनेंगे नहीं तो हल कैसे होगा । देखिए एडमिट तो हो चुका है।

*(Interruptions)***

सभापति महोदय : सुन तो लो शास्त्री साहब । मैं कमेटी से ऊपर तो नहीं जा सकता जो तरीका है, विधान है, उसी के अनुसार तो चलना है । जो मैथेड है, तरीका है, कांस्टीट्यूशन जो है, उसी के अनुसार तो चलना है । मुझे गलत रास्ते पर मत चलाइए ।

(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The House is adjourned till 3.00 PM.

14.11 hrs.

The Lok Sabha adjourned till Fifteen of the clock.

The Lok Sabha re-assembled at three minutes past Fifteen of the Clock

(MR. SPEAKER *in the Chair*)

*(Interruptions)***

MR. SPEAKER : Not allowed. I have not allowed anybody.

*(Interruption)***

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बैठें तो मैं कुछ बोलूं...(व्यवधान) आप जिस ढंग से बात करना चाहते हैं, मुझसे सुबह प्रो० दण्डवते जी ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा था, उस विषय में मैंने ही स्वयं उनको सजैस्ट किया था कि तरीके से सब कुछ हो सकता है, आप नियमों के अतर्गत कुछ भी करवा लीजिये । मैं तो अब भी उसके लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं । जब मैंने उस वक्त भी यह बात मान ली उसके बावजूद भी आप यहां इस तरह का विरोधाभास प्रदर्शित करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता... (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनिए ... (व्यवधान) यदि आप सब की इच्छा यही है तो मैं हाउस को फिर बंद कर देता हूं ।

*(Interruptions)***

अध्यक्ष महोदय : आप चलवायेंगे तो चलायेंगे । (व्यवधान) मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो चीज आप चाहते हैं,

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो यहां कहेंगे, आप जो मनवाना चाहते हैं, वह गवर्नमेंट को भी मैंने बात की है, वह तैयार है, मैं तैयार हूं । आप नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा है, लोग आपको कहेंगे ।

*(Interruptions)***

MR. SPEAKER : I am not going to enter into any arguments. I am the Speaker of the House and I have always upheld this and I have given my assurance on the floor of the House. I am not going to bar any discussion. I am sticking to my decision. Early in the morning also I have said that I will said that I will admit this under these

** Not recorded.

(Mr. Speaker)

conditions and under these rules, and I have admitted it. So simple it is. I have done it according to the rules and according to the rules, my dear friend, I will do. I will not budge even an inch from the rules. It is upto you to decide the time.

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER : If this is the way, then I will have to reconsider. If there is this intransigence and this non-cooperative attitude, then I have to reconsider.

आपके मेम्बर्स, मेरे साथ बैठ कर सारा फैसला हमने किया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में फैसला हुआ है। (व्यवधान)*

उसके बाद भी नहीं हुआ तो यह देश जानता है, आप सब जानते हैं।

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER : I adjourn the House till 3.30 PM.

15.08 hrs.

The Lok Sabha adjourned till Thirty minutes past Fifteen of the clock.

The Lok Sabha re-assembled at thirty minutes past Fifteen of the clock.

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI *in the Chair.*)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मेरा नाम आज के प्राइवेट मेम्बर्स में बोलने वालों में पहला है। यह अपाजीशन का निर्णय है कि अभी तक जो सरकारी काम काज था, जो आन्ध्र प्रदेश में कांस्टीट्यूशनल सेट अप और ब्रेक डाउन हुआ है उसके विरोध में हमने हाउस की कार्यवाही नहीं चलने दी। अब प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस है, और अपोजीशन का यह निर्णय है कि हम लोग सदन का बायकाट करते हैं।

15.31 hrs.

Some Hon. Members then left the House

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SPORTS WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): This is not true; this is not a fact that they did not allow the House to function. The House knows it very well that the House had disposed of four very important items on the agenda. Therefore it is not correct to say that the House did not function; the House did function and we disposed of four very important items on the agenda today.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN : Whatever Mr. Chandrajit Yadav has said will not go on record. I am not allowing that. I will not be reported.

*(Interruptions)**

SHRI BUTA SINGH : This shows how the opposition is out to destroy democracy even inside the Parliament.

15.34 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTION'S

Eightieth Report

PROF .P.J. KURIEN (Mavelikara) : I beg to move

> "That this House do agred with the Eightieth Report of the Committee on Private Members Bills and resolutions presented to the House on the 14th August, 1984.',

*Not recorded.